रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24042025-262662
CG-DL-E-24042025-262662

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 311]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 24, 2025/वैशाख 4, 1947
No. 311]	NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 24, 2025/VAISAKHA 4, 1947

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2025

फा. सं. 2/2(2)/2011–स्था./केविविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 91 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 178 की उपधारा (2) के खंड (यक) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार के अनुमोदन से एतद् द्वारा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (स्टाफ की भर्ती, नियंत्रण एवं सेवा शर्तें) विनियम, 2007 (जिसे इसके बाद "मूल विनियम" कहा गया है) के संशोधन के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ**–

(i) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (स्टाफ की भर्ती, नियंत्रण एवं सेवा शर्तें) (छठा संशोधन) विनियम, 2025 है।

(ii) ये विनियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **मूल विनियम के विनियम 14 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्**:–

"आयोग, अन्यत्र सेवा निबंधनों/अल्पकालिक संविदा आधार पर प्रतिनियुक्ति द्वारा या या सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने के लिए रिक्तियों की संख्या की घोषणा करेगा और आयोग में नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा। अन्यत्र सेवा निबंधनों पर प्रतिनियुक्ति के मामले में रिक्तियों को केन्द्र सरकार के सभी विभागों, संबद्ध कार्यालयों और अधीनस्थ कार्यालयों में परिचालित किया जाएगा और अल्पकालिक संविदा आधार के मामले में, रिक्तियों को गैर–सरकारी संगठनों जैसे कि विश्वविद्यालयों, मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में भी परिचालित किया जाएगा। आयोग, उक्त विज्ञापन के लिए प्रतिक्रिया देने हेतु आवेदकों को कम से कम चार (04) सप्ताह की न्यूनतम समयावधि देते हुए रोजगार समाचार और आयोग/मंत्रालय की वेबसाइट सहित प्रिंट मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर सभी रिक्तियों को प्रचारित करेगा।"

3. मूल विनियमों के विनियम 18 का संशोधनः

(i) विनियम 18 के मौजूदा खंड (क) को विनियम 18 के खंड (कक) के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा और मूल विनियमों की प्रथम पंक्ति में शब्दों "समूह 'क' पदों" के पहले शब्दों "सचिव और प्रमुख के पदों के अलावा अन्य" को जोड़ा जाएगा।

(ii) मूल विनियमों में एक नया विनियम, अर्थात् विनियम 18(क) निम्नानुसार जोड़ा जाएगाः

(क) विनियम 5 में उल्लिखित सचिव/प्रमुख के समतुल्य सभी पदों के चयन हेतु चयन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगेः–

अध्यक्षः आयोग के अध्यक्ष।

सदस्यः आयोग के दो सदस्य।

सदस्यः केन्द्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले अपर सचिव या समतुल्य

सदस्यः अध्यक्ष, केविविआ द्वारा नामित किए जाने वाले एक बाहरी विशेषज्ञ

संयोजकः आयोग के सचिव।

हरप्रीत सिंह प्रुथी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./43/2025-26]

नोटः–

(क) मूल विनियम दिनांक 31 जुलाई, 2007 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–III, खंड–4, सं. 156 में प्रकाशित हुए थे।

(ख) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (स्टाफ की भर्ती, नियंत्रण एवं सेवा शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2013, दिनांक 3 अप्रैल, 2013 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–III, खंड–4, सं. 94 में प्रकाशित हुए थे।

(ग) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (स्टाफ की भर्ती, नियंत्रण एवं सेवा शर्तें) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2015, दिनांक 4 दिसम्बर, 2015 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–III, खंड–4, सं. 384 में प्रकाशित हुए थे।

(घ) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (स्टाफ की भर्ती, नियंत्रण एवं सेवा शर्तें) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2016, दिनांक 28 मार्च, 2016 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–III, खंड–4, सं. 110 में प्रकाशित हुए थे।

(ङ) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (स्टाफ की भर्ती, नियंत्रण एवं सेवा शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2019, दिनांक 14 जून, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–III, खंड–4, सं. 211 में प्रकाशित हुए थे।

(च) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (स्टाफ की भर्ती, नियंत्रण एवं सेवा शर्तें) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2019, दिनांक 23 मार्च, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–III, खंड–4, सं. 112 में प्रकाशित हुए थे।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th April, 2025

F. No. 2/2(2)/2011-Estt./CERC.—In exercise of powers conferred under clause (za) of sub-section (2) of Section 178 read with sub-section (3) of Section 91 of The Electricity Act, 2003, the Central Electricity Regulatory Commission, with the approval of the Central Government hereby makes the following Regulations, to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Recruitment, Control and Service Conditions of Staff) Regulations, 2007 (hereinafter referred to as "the Principal Regulations"), namely:

1. Short title and commencement:

(i) These Regulations may be called as the Central Electricity Regulatory Commission (Recruitment, Control and Service Conditions of Staff) (Sixth Amendment) Regulations, 2025.

(ii) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Regulation 14 of the principal Regulation shall be substituted by the following namely;-

"The Commission shall announce the number of vacancies to be filled by Deputation on Foreign Service terms/short-term contract basis or through direct recruitment and invite applications for appointment in the Commission. In the case of Deputation on foreign service terms, the vacancies shall be circulated to all the departments, attached offices and subordinate offices of the Central Government and in the case of short-term

contract basis, vacancies shall also be circulated to non-government organizations e.g. Universities, recognized research institutions, public sector undertakings, etc. The Commission shall also publicise all vacancies at the national level through print media including Employment News and websites of the Commission/Ministry giving a minimum period of at least four (04) weeks to the applicants to respond to the said advertisement."

3. Amendment to Regulation 18 of the Principal Regulations:

(i) The existing clause (a) of Regulation 18 shall be re-numbered as clause (aa) of Regulation 18 and words "*other than the posts of Secretary and Chief*" shall be added after the words "Group A posts" to the first line of the Principal Regulations.

(ii) A new Regulation, namely, Regulation 18(a) shall be added in the Principal Regulations as under:

(a) For selection to all the posts equivalent to Secretary/Chief mentioned in regulation 5, the Selection Committee shall consist of the following :-

Chairman: Chairperson of the Commission.

Members: Two Members of the Commission.

Member : Additional Secretary or equivalent to be nominated by the Central Government.

Member : One outside expert to be nominated by Chairperson, CERC

Convenor: Secretary of the Commission.

HARPREET SINGH PRUTHI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./43/2025-26]

Note :-

(a) Principal Regulations were published on 31st July, 2007 in Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section-4, No. 156.

(b) Central Electricity Regulatory Commission (Recruitment, Control and Service Conditions of Staff) (First Amendment) Regulations, 2013 were published on 3rd April, 2013 in Gazette of India, Extraordinary, Part-III-Section-4, No 94

(c) Central Electricity Regulatory Commission (Recruitment, Control and Service Conditions of Staff) (Second Amendment) Regulations, 2015 were published on 4th December, 2015 in Gazette of India, Extraordinary, Part-III-Section-4, No.384,

(d) Central Electricity Regulatory Commission (Recruitment, Control and Service Conditions of Staff) (Third Amendment) Regulations, 2016 were published on 28th March 2016 in Gazette of India, Extraordinary, Part-III-Section-4, No.110.

(e) Central Electricity Regulatory Commission (Recruitment, Control and Service Conditions of Staff) (Fourth Amendment) Regulations, 2019 were published on 14th June 2019 in Gazette of India, Extraordinary, Part-III-Section-4, No.211

(f) Central Electricity Regulatory Commission (Recruitment, Control and Service Conditions of Staff) (Fifth Amendment) Regulations, 2019 were published on 23rd Mar 2021 in Gazette of India, Extraordinary, Part-III-Section-4, No.112

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA